1.00 P.M.

27. Shri Lakkhiram Agarwal (Madhya Pradesh)
28. Shri Suresh Pachouri (Madhya Pradesh)
29. Shri Abdul Gaiyur Qureshi (Madhya Pradesh)
30. Shri Surendra Kumar Singh (Madhya Pradesh)
31. Shri Vedprakash P. Goyal (Maharashtra)
32. Shri Suresh A. Keswani (Maharashtra)
33. Shri Mukhesh R. Patel (Maharashtra)
34. Shri N.K.P. Salve (Maharashtra)
35. Shri Suryabhan Patil Vahadane (Maharashtra)
36. Shri Adhik Shirodkar (Maharashtra)
37. Shri W. Angou Singh (Manipur)
38. Shri Maurice Kujur (Orissa)
39. Shrimati Jayanti Patnaik (Orissa)
40. Shri Dilip Ray (Orissa)
41. Shri Ananta Sethi (Orissa)
42. Shri Ramdas Agarwal (Rajasthan)
43. Dr. Mahesh Chandra Sharma (Rajasthan)
44. Shri S. Peter Alphonse (Tamil Nadu)
45. Shri R.K. Kumar (Tamil Nadu)
46. Shri S. Niraikulathan (Tamil Nadu)
47. Shri P. Soundararajan (Tamil Nadu)
48. Shri N. Thalavai Sundaram (Tamil Nadu)
49. Shri T.M. Venkatachalam (Tamil Nadu)
50. Shri Debabrata Biswas (West Bengal)
51. Shri Dawa Lama (West Bengal)
52. Shri Md. Salim (West Bengal)
53. Dr. (Smt.) Bharati Ray (West Bengal)
54. Shri Bratin Sengupta (West Bengal)

WELCOME TO NEW MEMBERS

MR. CHAIRMAN: I am very glad to extend my warm welcome to the newly elected and re-elected Members of Rajya Sabha. The re-elected Members are old familiar faces and they do not need any introduction to the procedure, conventions and traditions of the House. The new Members, I am sure, will acquaint themselves with the spirit and the content of Parliamentary procedure and practice and enrich the discussions and enhance the prestige of the House. I extend my felicitations to the elected and re-elected Members and wish them success in the years ahead.

PRESIDENT'S ADDRESS—LAID ON THE TABLE

SECRETARY-GENERAL: Sir, I beg to lay on the Table a copy (in Hindi and English) of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 24th May, 1996. [Placed in Library. *See* No. LT2/96].

[Text of the Address delivered by the President (Dr. Shanker Dayal Sharma) in Hindi]

माननीय सदस्यगण,

लोक सभा के ग्यारहवें आम चुनावों के बाद इस पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं, नई लोक सभा के सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं।

हाल ही में हुए आम चुनावों में भारतीय जनता ने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। राष्ट्र एवं विश्व ने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भव्यता को देखा है। यह चुनाव कुशलता एवं तत्परता के साथ कराए गये। हमारे लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ अधिकार का प्रयोग किया। भारत ने एक बार फिर अपनी लोकतांत्रिक चेतना की सुदृढ़ता, जीवन्तता एवं स्थायित्वता की प्रवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत किया है। सरकार चुनाव परिणामों में निहित जनादेश का पूरा सम्मान करेगी। संसद का वर्तमान सत्र यह निश्चित करेगा कि मंत्री परिषद को लोक सभा का विश्वास प्राप्त है या नहीं।

आज देश इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। 20वीं शताब्दी समाप्त होने जा रही है, और हम नई सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं। नियति एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए हमारा आह्वान कर रही है। इस पृष्ठभूमि में उपजे ऐतिहासिक कार्यों को पूरा करने की हमारी साझी जिम्मेदारी के प्रति सरकार पूरी तरह सचेत है। हमारा यह सतत प्रयास होगा कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति प्राप्त की जाए।

राष्ट्र का मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और शक्ति को कायम रखना हमारे प्रमुख कार्यों में है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने अच्छा शासन मुहैया कराने के उद्देश्य से जो मूल संस्थाएं निर्मित की हैं, उन्हें सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसके लिए हमारी शासन-व्यवस्था एवं प्रशासन में आवश्यक सुधार लाना जरूरी है।

स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन उपलब्ध कराना आज की आवश्यकता है, और सरकार इस उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध है। ईमानदारी एवं जिम्मेदारी को लोक प्रशासन के मूल प्रतिमान बनाना है। प्रशासनिक, वैधानिक एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में उचित मर्यादा, स्फूर्ति एवं प्रभावशीलता परिलक्षित होनी चाहिए।

हमारी चुनाव प्रक्रियाओं की कमियों की ओर भी ध्यान दिया जाना है। यह मामला काफी समय से लंबित है, और इसमें अब अधिक विलंब ठीक नहीं होगा। इस बारे में समय-समय पर अनेक सुझाव दिए गये हैं। उपलब्ध पर्याप्त जानकारी और अन्य बातों के आधार पर चुनाव प्रक्रिया में तत्काल अपेक्षित सुधार लाए जायेंगे। चुनाव प्रक्रिया में धन-शक्ति के इस्तेमाल को रोकने, राजनीतिक दलों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और अनुचित तरीकों को समाप्त करने पर बल दिया जाएगा।

निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा करना एक और ऐसा पहलू है, जिसकी ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा प्रमुख उद्देश्य मनमाने ढंग से निर्णय लेने की गुंजाइश को यथासंभव कम करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत सरल और सुस्पष्ट हैं। ऐसे कार्यक्रम के सार्थक कार्यान्वयन हेतु लोक शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए आवश्यक प्रबंध करने होंगे।

सरकार न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग अधीनस्थ न्यायपालिका की कार्यप्रणालियों एवं कार्य परिवेश, परिलब्धियों व सेवा-शर्तों का व्यापक परीक्षण कर रहा है। सरकार उसके कार्य में हर प्रकार की सहायता करेगी, ताकि वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कर सके।

सरकार आधुनिक प्रबंध तकनीकों का विस्तार करके तथा न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्र भरकर न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने का पूरा प्रयास करेगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कल्याण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता के प्रति सरकार पूरी तरह सचेत है। पांचवां वेतन आयोग इस समय उनकी परिलब्धियों, वेतन-ढांचे और सेवा शर्तों पर विचार कर रहा है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय और लग सकता है। अतः सरकार ने आयोग से यथाशीघ्र अंतरिम सिफारिश करने का अनुरोध किया है, जिससे उसके आधार पर कर्मचारियों को यथोचित राहत दी जा सके।

सरकार प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापक विस्तार के कारण इलैक्ट्रानिक मीडिया का महत्व हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक बढ़ गया है। हम प्रसार भारती अधिनियम, 1990 को पूर्णतः कार्यान्वित करके आकाशवाणी एवं दूरदर्शन को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए कृत संकल्प हैं। वर्ष 1995 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार को यह निदेश दिया है कि वह वायुतरंगें विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना करे। सरकार सही मायनों में स्वायत्तशासी प्रसार भारती निगम स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। यह निगम सूचना के प्रसार में राष्ट्रीय पहचान, एकता एवं विश्वसनीयता को सुदृढ़ करेगा, तथा गुणात्मक शिक्षा व मनोरंजन की व्यवस्था करेगा।

हमारे देश की विशालता, इसकी विविधता और अंतर्निहित एकता हमारी मूल शक्ति है। भारत एक राष्ट्र, एक जन है, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सुदृढ़

हों, सभी कदम उठाएगी। सरकार सभी लोगों, विशेषकर कमजोर एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के जान-माल की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। हिंसा के बल पर अलगाववाद, उग्रवाद, अपराधीकरण और असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी भी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होता, और इनसे सरकार सख्ती से निपटेगी। ऐसा करने के लिए सरकार यह नहीं भूलेगी कि इन समस्याओं को हल करने में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपाय भी समान रूप से जरूरी हैं।

हमारे देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र आज भी हिंसा, विद्रोह और जातिय संघर्ष से जूझ रहा है। सुरक्षा के साधनों और खुफिया-तंत्र को सुदृढ़ बनाकर सीमा-पार से विदेशी हथियारों और आतंकवादियों के प्रवेश को रोकने की आवश्यकता है। गैर-कानूनी आप्रवास अनिश्चितता की स्थिति पैदा करता है। अतः इसको रोकने के लिए व्यापक उपाय करने होंगे। आर्थिक विकास को तेज करने के लिए प्रभावी प्रशासन का होना और लोक शिकायतों को तत्काल निपटाने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित करना भी नितांत आवश्यक है।

जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। हम अपने आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप को बरदाश्त नहीं करेंगे। हम इस राज्य की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को बहाल करना चाहते हग। इसके लिए ऐसे सभी प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सकें। इसके साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रयासों को भी तेज किया जाएगा।

सरकार केन्द्र एवं राज्यों के संबंधों में और सुधार लाने के लिए उत्सुक है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट तथा अन्य व्यापक अध्ययनों से इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त सुझाव प्राप्त हुए हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकारों के साथ और अधिक परामर्श किया जाए, और संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग न हो। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत परिकल्पित अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका एवं महत्व की व्यापक समीक्षा की जाएगी, तथा उसे एक ऐसा प्रभावी तंत्र बनाया जाएगा, जो राज्यों के बीच विवादों को निपटाने और उनके साझे हितों से संबंधित नीतियों एवं कार्यों के मामले में बेहतर तालमेल बनाने में समर्थ हो।

उत्तरांचल और वनांचल के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार ऐसे सभी कदम उठाएगी, जो उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए उपयुक्त हों। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा।

हम भारतीय अर्थव्यवस्था का ऐसा रूप देखना चाहते हैं, जिससे भारत विश्व के राष्ट्रों में अग्रणी होकर अपनी नियति प्राप्त कर सके। हमें प्रत्येक भारतीय की रचनात्मक प्रतिभा पर पूरा विश्वास है। इन प्रतिभाओं का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रणों एवं विनियमों के पुराने ढांचे को हटाना होगा, तथा विकास के लिए मुक्त बाजार व्यवस्था के सहायक की भूमिका अदा करने के लिए सरकार को मजबूती प्रदान करनी होगी। साथ ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा सामाजिक संरचना को भी सुदृढ़ करना होगा।

पिछले पांच वर्षों में हुए आर्थिक सुधारों से कुछ सफलता मिली है। सरकार आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को तेज करके, आधारभूत संरचना के विकास को अधिक प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देकर तथा राजस्व एवं मुद्रा नीतियों का एक सुदृढ़ ढांचा कायम करके अर्थव्यवस्था में विकास की शक्ति को बढ़ाएगी, तथा मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित करेगी।

आज ब्याज की ऊंची दरों तथा जमापूंजी की कमी से उद्योग, व्यापार व कृषि के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसका मूल कारण यह है कि सरकार लगातार बढ़ रहे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज ले रही है। सरकार गैर-विकास खर्च कम करेगी, तथा राजस्व घाटा कम करने के लिए कर-सुधारों में तेजी लाएगी। इस प्रकार अधिक उत्पादक कार्यों के लिए संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। सरकार उन क्षेत्रों का पता लगाएगी, जिनमें उसकी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। कराधान के क्षेत्र में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि न केवल कर के स्तर एवं दरें ऐसी हों, जिनके विकास कार्य में बाधा न पड़े, बल्कि उनसे

समाज के समृद्ध वर्गों के बीच कर के बोझ का समान रूप से बंटवारा हो सके। हम एक उपयुक्त मूल्य संवर्धित कर-ढांचा भी तैयार करेंगे।

काफी समय से लंबित सरकारी कर्ज से छुटकारा पाने तथा लोक उद्यमों में लगी परिसम्पत्तियों से अधिकाधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए सरकार एक ऐसे विनिवेश आयोग का गठन करेगी, जो विनिवेश की प्रक्रिया में सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट ढंग से तेजी ला सके। मुनाफे का कुछ हिस्सा सरकारी ऋण को चुकता करने के लिए निर्धारित किया जाएगा, तथा शेष राशि का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के लिए किया जाएगा। विनिवेश करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कामगारों के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का उपयोग कामगारों के पुनः ऐसे प्रशिक्षण तथा उन्हें फिर से ऐसे काम पर लगाने के लिए किया जाएगा, जो तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है।

आर्थिक विकास तेज करने तथा गरीबी हटाने हेतु अधिक से अधिक राष्ट्रीय निवेश के लिए सरकारी बचत को बढ़ाया जाएगा, तथा निजी बचतों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राष्ट्रीय बचत प्रयासों में वृद्धि के लिए विदेशी बचत एवं निवेश का स्वागत किया जाएगा। भारत जैसा विशाल एवं पूंजी निवेश की संभावना वाला देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना संबंधी क्षेत्रों में, विशेषकर विद्युत, सड़कें, बन्दरगाह एवं दूरसंचार में आसानी से दुगुना कर सकता है।

सरकार ऊर्जा, विशेष रूप से बिजली, कोयला एवं पेट्रोलियम के क्षेत्र में तथा सड़क, बन्दरगाह, रेलवे और दूरसंचार के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण उत्पन्न बाधाओं को दूर करने, और इनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक एकीकृत एवं समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेगी। विदेशी निवेश सहित निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाया जाएगा।

सरकार काफी समय से लंबित पड़े निगम कानूनों में ऐसा सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे इस कानून का उपयोग केवल नियामक तंत्रों के रूप में ही नहीं, बल्कि आर्थिक उन्नति के साधनों के रूप में हो। इन नियमों से उद्यम-प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, तथा उद्योगों के सभी अवरोधों एवं हतोत्साहनों से छुटकारा मिलेगा। इस दिशा में आवश्यक विधायी कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।

सरकार अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के महत्व को पूरी तरह से स्वीकार करती है। इस क्षेत्र में आने वाले कठिनाइयों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी, और तीव्र प्रगति के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर किया जायेगा।

निर्माण उद्योग हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो लाखों व्यक्तियों को रोजगार देता है। इस क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम रहा है। सरकार इस अधिनियम के औचित्य की समीक्षा करेगी।

इन सब के लिए हमारे छोटे-बड़े सभी उत्पादकों के प्रतियोगी पक्ष को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर सकें। अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु हमें अपनी आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात बढ़ाना होगा। अल्प एवं मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन के लिए सरकार लगातार और तेजी से निर्यात बढ़ाने तथा पर्याप्त रूप में बिना कर्ज वाली पूंजी जुटाने के लिए नीतियां बनाएगी। सरकार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की आवश्यकता के अनुरूप विदेशी मुद्रा नियंत्रणों की समीक्षा करेगी, तथा इन्हें सरल बनायेगी।

हमारे वित्तीय एवं पूंजी बाजारों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार बैंकों सहित सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को अधिक-से-अधिक उत्तरदायी एवं प्रतियोगी बनाएलगी। स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देने तथा घोटालों एवं अनियमितताओं से बचने के लिए सरकार पूंजी बाजारों की व्यवस्था संबंधी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगी। इसमें जमाकर्ताओं के लिए शीघ्र एक सरल कानून बनाना भी शामिल होगा।

भारत की तीन-चौथाई आबादी गांवों में बसती है, और कृषि ग्रामीण लोगों के जीवन-यापन का मूलाधार है। ग्रामीण निर्धनता में सुधार लाने, खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता सुनिश्चित करने, उद्योग तथा सेवाओं के लिए घरेलू बाजार सुदृढ़ बनाने, तथा कृषि एवं उद्योग के बीच पारस्परिक लाभकारी संबंध बनाने के लिए कृषि का तेजी से व्यापक विकास करना जरूरी है। सरकार ग्रामीण

आधारभूत संचरना के लिए अधिक से अधिक धन आबंटित करेगी, किसानों को उनके उत्पाद की लाभकारी कीमतें दिलाएगी, चीनी जैसे कृषि पर आधारित उद्योगों को लाइसेंस नियंत्रणों से मुक्त करेगी, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करेगी। कृषि विकास के लिए दुर्लभ जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग जरूरी है। सरकार निमार्णाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने को विशेष प्राथमिकता देगी।

जल हमारा सबसे कीमती संसाधन है, और इसके संरक्षण एवं कारगर उपयोग का सर्वोपरि महत्व है। सरकार पर्याप्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर, एवं लोगों की भागीदारी से सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों के जल-विभाजक आधारित विकास और परती भूमि पुनर्रूद्धार को उच्च प्राथमिकता देती है।

गो-सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा गो-वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार उपयुक्त उपाय करेगी।

महिलाओं को वास्तविक शक्तियां प्रदान करने के लिए सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी, जिनसे यह सुनिश्चित हो कि उनकी गरिमा और अधिकारों का हनन न हो, और उनकी पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। सरकार राज्य विधान सभाओं और संसद सहित सभी निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के लिए आवश्यक विधायी एवं अन्य उपाय करेगी।

विकलांगों और अन्य ऐसी सभी व्यक्तियों की देख-रेख की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्र की है, जो किन्हीं ऐसे कारणों से जिन पर उनका नियंत्रण नहीं है, अभावग्रस्त हैं। साथ ही इस बारे में व्यापार और उद्योगों को उनके सामाजिक उद्देश्य के लिए सुग्राही बनाया जाएगा। हमारे वरिष्ठ नागरिकों पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार उनकी समस्याओं पर विचार करेगी, और ऐसे उपाय करेगी, जिनसे वृद्धावस्था में उनका जीवन अधिक से अधिक सहज हो सके।

सरकार देश में व्याप्त घोर गरीबी की समस्या के बारे में काफी चिंतित है। देश के सबसे गरीब वर्गों की आवश्यकताओं पर तत्काल एवं सहानुभूतिपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। हम उन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाएंगे, जो उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में काफी सहायक हों। इनसे उन्हें लाभकारी रोजगार मिलेंगे तथा आमदनी पैदा करने के साधन प्राप्त होंगे। ऐसा करते समय हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त असमानताओं को दूर किया जा सके। इसलिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों तथा बंधुआ मजदूरों एवं बाल श्रमिकों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लिए गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कल्याणकारी उपायों के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विशेष रूप से उन लोगों पर सही ध्यान केन्द्रित करना होगा, जिन्हें वास्तव में सरकार से सहायता की जरूरत है। सरकार गरीबों में से भी सबसे गरीब पांच करोड़ परिवारों की शीघ्र पहचान करके उन्हें तत्काल राहत प्रदान करेगी। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम उन्हें आवश्यक सहयोग देंगे, तथा आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के कार्य में उनका सक्रिय सहयोग लेंगे।

केवल आर्थिक प्रगति ही विकास का मापदंड नहीं हो सकती। गरीबी, बीमारी तथा भुखमरी की समस्याओं पर बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। वास्तव में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य कल्याणकारी उपायों जैसी सामाजिक जरूरतों के अभाव में लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं लाया जा सकता, जो कि विकास का वास्तविक सूचक है। सरकार दस वर्षीय एक ऐसी नवीन योजना शुरू करेगी, जिसमें मुख्य ध्यान गरीबों के बच्चों के लिए पोषक-आहार, उनके स्वास्थ्य की देख-रेख और शिक्षा सुविधाओं पर होगा, ताकि अन्य बच्चों के समकक्ष लाया जा सके। इस योजना के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

सरकार शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है, क्योंकि यह भौतिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास एवं समाज तथा व्यक्ति की सम्पन्नता का एक साधन है। श्रम तथा संसाधनों के सापेक्ष लाभ पर आधारित पुरानी व्यवस्था के स्थान पर मानव संसाधन, कार्य-दक्षता तथा प्रौद्योगिकी के आधार पर बन रही नई व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। हमारे बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य तथा बढ़ती हुई सामाजिक आकांक्षाओं को देखते हुए शैक्षिक कार्यक्रमों में व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार अभी तक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा तक मुहैया नहीं करा पाये हैं। इसमें तत्काल सुधार लाने की आवश्यकता है। सरकार व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगी। सरकार महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता को भली-भांति समझती है। इस दिशा में

व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाएगा, ताकि महिलाएं उपयुक्त रोजगार अवसर प्राप्त करने के योग्य बन सकें। उच्च शिक्षा में और सुधार लाया जाएगा, और भारत के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में भी शिक्षा को सहायक बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इस क्षेत्र में मौजूदा विशिष्ट शिक्षा केन्द्रों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की ओर तत्काल ध्यान दिया जाएगा। नए क्षेत्रों में भी ऐसे केन्द्र खोलने पर विचार किया जाएगा।

हम स्वास्थ्य तथा पोषक-आहार कार्यक्रमों में सरकारी निवेश बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यह लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होगा-सभी के लिए स्वास्थ्य। इन कार्यक्रमों में शिशु मृत्यु-दर में कमी, घातक रोगों से बचाव के लिए बच्चों का टीकाकरण तथा प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार जैसे पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए हम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी तथा चिकित्सा की अन्य भारतीय पद्धतियों का भी पूरा-पूरा उपयोग करेंगे।

सरकार राष्ट्रीय कार्यसूची में जनसंख्या से संबंधित मुद्दों, विशेषकर परिवार नियोजन को उचित प्राथमिकता देगी। हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य अगली सदी के प्रथम दशक तक जनसंख्या को बढ़ने से रोकना है। सरकार परिवार नियोजन के मानदण्डों को अपनाने के लिए उत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन की नीति बनाएगी।

दुर्भाग्य की बात है कि अनेक बस्तियों में अभी भी पीने के स्वच्छ पानी की कमी है, या उपलब्ध ही नहीं है। एक लाख 60 हजार बस्तियां ऐसी हैं, जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, और एक लाख 40 हजार बस्तियों में पीने का पानी बहुत दूषित है। सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर अपने सभी लोगों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य सरकारों से परामर्श करेंगे, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने में उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। जिन क्षेत्रों में पेयजल रसायनों से दूषित हो गया है, वहां उसे स्वच्छ और पीने योग्य बनाने के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। सरकार इस कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी आवश्यक समझती है, और इसे प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

सरकार समाज का कायाकल्प करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को भली-भांति समझती है। लोक-कल्याण हेतु आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए कदम उठाये जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बात के प्रयास किए जाएंगे कि राष्ट्रीय हितों और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को पर्याप्त संरक्षण मिले। सरकार राष्ट्र के अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग देती रहेगी, जिसने देश के समग्र विकास के लिए उच्च क्षमता तथा उपयोगिता का प्रदर्शन किया है।

हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की पोषक है। यह विश्व परिदृष्य में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रतिबिम्बित करती है, जो शीतयुद्ध के बाद की स्थिति से उत्पन्न संभावनाओं एवं चुनौतियों का सामना करने, तथा हर तरह के आधिपत्य एवं प्रभुत्व को अस्वीकार करने में समर्थ है। इस प्रक्रिया में हमारे राजनीतिक, आर्थिक सुरक्षा तथा अन्य हितों की रक्षा स्पष्ट एवं सुनिश्चित ढंग से की जाएगी।

सरकार अपनी विदेश नीति के तहत पाकिस्तान सहित दक्षिण एशिया के अपने सभी पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय रूप में, तथा सार्क के मंच पर संबंध सुधारने को विशेष प्राथमिकता देगी। हम सभी देशों के साथ आपसी हितों में सहयोग करेंगे। हम रूस के साथ अपने व्यापक संबंधों को और प्रगाढ़ बनायेंगे। हमें आशा है कि अमरीका के साथ हमारे संबंध और अधिक सुदृढ़ तथा व्यापक होंगे। हम भारत-चीन संबंधों को सुधारने के लिए मिलने वाले सभी अवसरों का लाभ उठायेंगे ताकि दोनों देशों में मित्रता तथा सहयोग बढ़े। एशियाई देशों के साथ भाईचारे के लिए अपनी वचनबद्धता के अनुरूप हम आसियान के सदस्य देशों के साथ अपने मैत्री संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे।

बहुआयामी क्षेत्र में भारत की भूमिका सदैव रचनात्मक रही है। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि तथा फिसाइल मैटीरियल कट-आफ ट्रीटी जैसे मुद्दों पर हमारी नीति हमारी परम्परागत वचनबद्धता के अनुरूप परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की है। यद्यपि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की हमारी प्रतिबद्धता से सभी भली-भांति परिचित हैं, फिर भी राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक होने पर हम अपनी परमाणु नीति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे।

भारत के पड़ोस के कुछ भागों में सुरक्षा की दृष्टि से अनिश्चितता बनी हुई है। यह दुखद है कि पाकिस्तान का भारत के खिलाफ आतंकवाद भड़काना जारी है। हम पाकिस्तान से आग्रह करते हैं कि वह सभी अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की हमारी पेशकश पर रचनात्मक रवैया अपनाए।

देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी मामलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं हथियार प्राप्त करने के मामले में हमारी रक्षा क्षमता के स्वदेशी तकनीकी विकास का कार्यक्रम जारी रहेगा, तथा हमारी सुरक्षा जरूरतों के मुताबिक इसे सुदृढ़ बनाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के ढांचे में सुधार करके और उसका स्तर बढ़ाकर हम राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर बल देंगे।

राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं की क्षमता पर हमें पूरा विश्वास है, और उनकी क्षमता को बरकरार रखने, एवं उसे बढ़ाने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि सशस्त्र सेनाओं की कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण की भावना की सराहना करने में मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को भी परिलक्षित कर रहा हूं। उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए सरकार उनके कल्याण हेतु हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने भूतपूर्व सैनिकों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने राष्ट्र की अमूल्य सेवा की है। इसलिए उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए समुचित निधि वाले सैनिक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना करेगी।

हम अगली सदी के द्वार पर खड़े हैं, और हमारे समक्ष अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। ग्यारहवीं लोक सभा को देश को अगली सदी में ले जाने के कार्य में अपना योगदान करने का गौरव प्राप्त होगा।

इस ऐतिहासिक कार्य में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

जय हिन्द

[Text of the President's Address in English]

HONOURABLE MEMBERS,

It gives me great pleasure to address both Houses of Parliament at this first session after the eleventh general election to the Lok Sabha. I extend my warm felicitations to the members of the new Lok Sabha.

The general election, just concluded, has demonstrated the democratic credentials of the country. The nation and the world have witnessed the majesty of the democratic process in India. The recent general election was organized with efficiency and despatch. Our people participated in large numbers and exercised their sovereign right in electing their representatives. Once again, India has demonstrated the strong, vibrant and enduring nature of her democratic ethos. Government will fully honour the mandate implicit in the result of the election. The present session of Parliament should enable the House of the People to determine whether it has confidence in the Council of Ministers.

The country stands at the crossroads of history. As the century comes to a close and the millennium turns, our destiny as a strong and a powerful nation beckons us. The Government is conscious of our common responsibility to fulfil these historic tasks. Our endeavour should be to strive for a wholesome consensus on all vital national issues.

Among our primary tasks is that of ensuring to the State its due honour, prestige and strength. The basic institutions devised by the founding fathers with a view to providing good governance have to be strengthened. This may necessitate appropriate reforms in our polity and governance.

Providing clean efficient administration is the need of the hour and the Government must commit itself to this goal. Probity and accountability have to be the key norms of public administration. Due propriety, promptitude and effectiveness should characterize every measure: administrative, legislative and political.

The deficiencies in our electoral processes are to be attended to. The matter has been pending for long and we can ill-afford any further delay. A large number of suggestions have been made from time to time. On the basis of the wealth of material available and otherwise, necessary reforms will be taken up urgently. The prime objectives would be that the use of money power in the electoral process is eliminated, accountability of

Political parties is ensured and unfair practices are removed.

An in-depth review of our decision making processes is another field which requires immediate attention. The primary task is to reduce as much as possible the scope of arbitrary decision makig by ensuring that our processes are made simpler and more transparent. For a meaningful implementation of such a programme, we will have to provide for expeditious means for speedy disposal of public grievances.

Government is committed to uphold the prestige and independence of the judiciary. A comprehensive examination of the work methods and environment, emoluments and conditions of service of the subordinate judiciary is being undertaken by the First National Judicial Pay Commission. Government will facilitate its work with a view to ensuring speedy submission of its report.

Every effort will be made to reduce the arrears in the Courts through the spread of modern management techniques and expeditious filling of the vacancies of judges.

Government is conscious of the need to improve the welfare of Central Government employees. The Fifth Pay Commission is currently looking into their emoluments, structure and service conditions. Since the final report of the Commission is likely to take some time, Government have requested them for their interim recommendations as early as possible, on the basis of which appropriate relief would be given.

The Government has a deep and abiding commitment to the freedom of the press and media. The electronic media are acquiring increased importance in our daily lives as a result of their pervasive presence and Government are determined to free All India Radio and Doordarshan from Government control by finally implementing the Prasar Bharati Act, 1990. In 1995, the Supreme Court had even directed the Government to set up an independent authority to regulate the airwaves. The Government would take all necessary steps to establish a truly autonomous Prasar Bharati Corporation which would strengthen national identity, integration, credibility in dissemination of Information and provision of quality education and entertainment.

The vastness of our country, its diversity and the underlying unity are our basic strengths. India is one people, nation with her unique culture. Government will do all that it may to ensure that harmonious relations are maintained between different communities and groups. Government is committed to provide security and protect the life and property of all people, particularly the weaker sections and minorities. Violence manifesting itself in separatist, extremist, criminal and anti-social activities has no place in any civilized society and would be effectively dealt with by the Government. In doing so the Government cannot forget that political, social and economic measures are equally necessary in resolving these problems.

The North Eastern region of our country continues to suffer from violence, insurgency and ethnic strife. There is need to check the inflow of foreign arms and terrorists from across the border by strengthening the security apparatus and the intelligence network. Illegal immigration which has an unsettling effect will be curbed through comprehensive measures. Effective administration for acceleration of economic development and providing for a prompt grievance redressal system, are also urgent requirements.

Jammu & Kashmir is an inalienable part of India. No attempt to interfere without internal affairs there will be tolerated. We are keen to restore the democratic functioning of

the State for which all efforts are being made to ensure free and fair polls in the State. Side by side, efforts for socio-economic development of the different regions will be intensified.

Government is anxious to improve Centre-State relations. The report of the Sarkaria Commission and other extensive studies provide ample material on the various facets of this problem. Government will ensure that there is increased consultation with the State Governments and that there is no misuse of Article 356. The role and status of the Inter State Council envisaged under Article 263 of the Constitution will be reviewed in depth and action taken to make it an effective mechanism to resolve disputes between States and for better coordination of policies and action in matters of common interest to States.

In order to fulfil the aspirations of the people of Uttaranchal and Vananchal, the Government will take such steps as are necessary to give them full statehood. The various problems connected with the grant of full statehood to Delhi will also receive our serious consideration.

Our vision of India's economy is one which enables India to achieve its destiny in the forefront of the nations of the world. We have an abiding faith in the creative genius of every Indian. Our task is to release their energies by shedding out-dated structures of controls and regulations and re-equipping Government for its new role of providing a supportive framework for free market operations for growth, while strengthening programmes for poverty eradication and building of social infrastructure.

The economic reforms of the past five years did achieve some measure of success. Government will invigorate the growth impulses in the economy and control inflation by accelerating the process of economic reforms, providing much greater support and impetus to infrastructure development, and maintaining a sound framework of fiscal and monetary policies.

Today, high interest rates and scarce credit are inhibiting the growth of industry, trade and agriculture. The root cause of the problem is the continued recourse to high levels of borrowings by Government, to meet its ever-expanding expenditures. Government will prune non-development expenditure and accelerate tax reform to reduce the fiscal deficit and thus release resources for more productive activities. Government will identify areas from which it needs to withdraw. In taxation, we will ensure that not only levels and rates of taxation are such that growth is not constrained, but that the burden-sharing is equitably distributed among all affluent sections of the society. Government will also devise a suitably structured value added tax.

To deal with the massive overhang of past public debt and to ensure a higher return to assets in public enterprises, the Government will constitute a Disinvestment Commission to accelerate the process of disinvestment in a systematic and transparent manner. Part of the proceeds will be earmarked for retiring public debt and the balance to finance capital expenditure. While disinvesting, care will be taken so that the workers' interests are not harmed. The National Renewal Fund will be realigned towards retraining and redevelopment of workers that may be necessary in a fast growing economy.

Public savings will increase and private savings will be stimulated to finance the much higher levels of national investment necessary to accelerate economic growth and eradicate poverty. Foreign savings and investment will be welcomed to supplement the national savings effort. A country of India's size and potential can easily double the flow of dir-

ect foreign investment, especially in the critical infrastructure areas of power, roads, ports and telecommunications.

The Government will draw up an integrated time bound programme to increase capacities and release bottlenecks posed by insufficient infrastructure in energy, especially power, coal and petroleum, roads ports, railways, irrigation and telecommunications. The policy framework for inducting private, including foreign investment will be revamped and made transparent.

Government is committed to bring about long pending reform of the corporate laws which will ensure their functioning as instruments of economic growth, rather than merely regulatory mechanisms. The laws must promote entrepreneurship and freedom of industry from all avoidable inhibitions and disincentives. Necessary legislative action in this direction will be speedily undertaken.

The Government fully recognizes the importance of the small scale sector for production and employment in the economy. The difficulties faced by this sector will be carefully reviewed and the obstacles to rapid progress will be eliminated.

The construction industry is one of our largest sectors, providing jobs to millions. A major constraint to growth of this sector has been the Urban Land Ceiling Act. Government will review the rationale of this Act.

All this will be necessary to restore the competitive edge of our producers, large and small, so that they can effectively win the challenges of the international market place. Our export growth has to be stepped up to meet the import needs of a more dynamic economic. For the short and mediumterm viability of our balance of payments, Government will ensure policies for rapid and sustained export growth and for attracting adequate inflows of non-debt creating capital. Government will review and simplify the regime of foreign exchange controls in line with the needs of a modernizing economy.

To strengthen our financial and capital markets, Government will provide for greater accountability and competition for public financial institutions, including banks. To promote healthy development and avoid scams and irregularities, the Government will undertake a programme to modernize the infrastructure of capital markets, including swift passage of enabling legislation for depositories.

Three quarters of our citizens live in rural India, and agriculture is the life-blood of rural society. Rapid broad-based development of agriculture is vital for ameliorating rural poverty, ensuring self-sufficiency in food, strengthening the domestic market for industry and services and building mutually beneficial links between agriculture and industry. The Government will allocate more funds for rural infrastructure, ensure remunerative prices to farmers, free agro-based industries such as sugar from licensing controls and strengthen the Public Distribution System in rural areas. Optimal utilisation of scarce water resources is critical for agricultural development. Government will give special priority to completing ongoing irrigation projects.

Water is our most precious resource and its conservation and effective utilisation is of paramount importance. The Government attaches high priority for watershed based development of drought prone areas and waste land reclamation through adequately technical support and peoples' involvement.

In order to ensure cow protection, and to impose a total ban on the

slaughter of cows and cow progeny, Government will take up suitable measures.

The Government will pursue policies aimed at the real empowerment of women, so as to ensure that their dignity and rights are not violated and their full potential is realized. The Government will take necessary legislative and other steps to provide for reservation of 33% of the seats for women in all elected bodies, including State Assemblies and Parliament.

The disabled and all those who are placed in a position of undeserved want for reasons beyond their control, are the primary responsibility of the State. Simultaneously trade and industry will be sensitized as to their social obligation in this respect. Our senior citizens also deserve special care. Government will consider their problems and take measures which would make their lives easier in their old age.

The Government is painfully aware of the extensive levels of poverty in the country. The needs of the poorest sections in the country require the most urgent, sympathetic attention. We shall strengthen the programmes which contribute substantially to their social and economic upliftment. These would provide them with gainful employment and income generating assets. In doing so our endeavour would be ensure that the present disparities in socio-economic conditions are eliminated. Special attention would therefore be given to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Backward Classes, the other deprived sections of the society and to the problems of bonded and child labour. Programmes for poverty alleviation and other welfare measures for weaker sections of our society need to be accurately focussed on those who really need support from the Government. Government will soon begin the process of identifying the five crore poorest of the poor families for immediate relief. The role of the State Government in implementing these programmes is crucial and it would be our effort to give necessary flexibility to them and enlist their active support in the task of promoting greater economic and social justice.

Growth cannot be measured in economic terms alone. The problems of poverty, disease and hunger require a multi-dimensional approach. In fact, no improvement in the quality of life, which is the real index of growth, is possible without social inputs like education, health and other welfare measures. Government would initiate a pioneering ten year plan focussed upon providing nutrition for the children of the poor, their health care and facilities for education so that they are brought at the same level as other children. Adequate resources for this plan would be made available.

The Government attaches high priority to education as an instrument for the material, physical and spiritual development and enrichment of society and the individual. We witness today the old economic order based on comparative advantage of labour and resources giving way to a new order being built on the foundations of human resources, skills and technology. The changing economic scenario and rising social aspirations require signficant modifications in our educational programmes. We have not yet been able to provide free elementary education to our children as enjoined by our Constitution. This requires urgent rectification. Government will encourage vocational and technical education. Government recognizes the need for special efforts for the spread of education amongst women. Programmes in vocational and technical education to enable them to be eligible for suitable employment opportunities would be given emphasis. Higher education would be revamped so as

to facilitate India emerging as a major economic power in the international arena. In this sphere, the existing centres of excellence, require urgent attention to be strengthened. Such centres in new areas are also called for.

We believe in increasing state investment in health and nutrition programme as this is essential for raising the quality of life of our people. Our goal will be health for all. Reduction of the infant mortality rate, immunisation of children against killer diseases, improvement of the primary health care systems will be the corner stones of these programmes. In the we will make full use of Ayurveda, Unani, Homoeopathy and other Indian systems of medicine.

The Government will give due priority to population related issues especially family planning in the national agenda. The long term objective is to stabilize population by the first decade of the next century. The Government will devise a system of incentives and disincentives for encouraging adoption of family planning norms.

It is unfortunate that even safe drinking water is still scarce or unavailable to a large number of our habitations. There are 1.6 lakh habitations with no drinking water facilities and 1.4 lakh habitations where such water is badly contaminated. The Government is committed to providing drinking water facilities to all our people in a time-bound manner. We shall consult the State Governments and extend necessary support to them in achieving this goal. In areas where drinking water is chemically contaminated, available technologies would be harnessed for making it safe and potable. The Government considers community participation in this programme necessary and would take action to encourage this.

The Government recognizes the important role that science and technology has in transforming society. Steps would be taken to harness the latest advances in the service of the people. Special attention will be paid to the needs of the rural areas. Measures will be taken to see that national interests and intellectual property rights are adequately protected. Government will continue to support the country's space programme which has demonstrated its high potential and utility for the overall development of the country.

Our foreign policy is governed by our national interests and reflects India's position as a major player in the world arena, responding to the possibilities and challenges of the post-Cold War situation and rejecting all forms of hegemonism or dominance. In this process, our political, economic, security and other concerns, will be pursued in a clear and unambiguous manner.

The Government's foremost priority in the area of foreign policy will be the improvement of relations with al our neighbours in South Asea including Pakistan, bilaterally and in the SAARC forum. We will foster mutually beneficial partnership with all countries. We will strengthen our broad-based ties with Russia. We look forward to the further strengthening and diversification of our relations with the USA. We will utilize the opportunities offered in India-China relations to enhance friendship and cooperation. In keeping with our commitment to Asian solidarity, we look forward to reinforcing our friendly relations with the ASEAN member states.

India's role in the multilateral field has always been constructive. Our policy on issues such as a Comprehensive Test Ban Treaty and a Fissile Material Cut-Off Treaty will be governed by our traditional commitment to a nuclear weapons-free world.

While our commitment to the peaceful uses of nuclear energy is well-known, where necessary in the light of our national interests, our nuclear policy will be re-evaluated.

The situation in some parts of India's immediate neighbourhood continues to be uncertain in security terms. It is regrettable that Pakistan continues to instigate terrorism against India. We call upon Pakistan to respond constructively to our repeated offers to resolve all outstanding issues bilaterally.

There will be no compromise on our country's vital security concerns. The programme of indigenous development of our defence capability in terms of research and acquisitions will continue and be reinforced in the light of our security needs. We will stress a coordinated approach to national security by revitalising the structure and enhancing the status of the National Security Council.

We repose full confidence in the capability of the Indian armed forces to defend the nation and will do whatever is necessary to maintain and enhance this capability. I am sure honourable Members join me in commending the armed forces for their professionalism and dedication. Recognizing their invaluable contribution Government is committed to taking all possible steps to promote their welfare. We cannot forget the large community of our ex-Servicemen. They have rendered valuable service to the nation and deserve our special consideration. The Government will establish a Sainik Kalyan Foundation with a suitable endowment to take care of their rehabilitation and welfare.

The country is faced with a number of crucial challenges as we stand on the threshold of the next century. The eleventh Lok Sabha will have the honour of contributing to the task of piloting the country to the next century.

My good wishes are with you in this historic task.

JAI HIND

OBITUARY REFERENCES

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Members, I refer with profound sorrow to the passing away of Dr. Govind Das Richharia, Shri Dev Datt Puri and Prof. Rasheeduddin Khan, Former Members of the Rajya Sabha.

Dr. Govind Das Richharia who passed away on 18th March, 1996 was born at Baruasagar in district Jhansi of Uttar Pradesh in February, 1920 and had his education at Baruasagar and Bundelkhand Ayurvedic College. A doctor by profession Dr. Richharia was engaged in social work and was associated with a number of social and educational institutions. He was Chairman of the Jhansi Zila Parishad from 1961 to 1970; Vice-Chairman Khadi and Village Industries Commission from 1980 to 1984 and Convener, Irrigation Committee, Central Parliamentary Group from 1971 to 1976. He was a Member of the—Uttar Pradesh State Plan Advisory Council, Uttar Pradesh Shiksha Prasar Samiti and National Integration Council. He was also a Member of the Governing Body and Executive of the Central Council for Indian Systems of Medicine and Ayurveda.

Dr. Richharia started his Parliamentary career as a Member of the Fifth Lok Sabha in 1971. He represented the State of Uttar Pradesh in this House from April, 1984 ot April, 1990.

In the passing away of Dr. Govind Das Richharia, the country has lost a dedicated social worker.

Shri Dev Datt Puri, who passed away on 22nd April, 1996 was born at Jullundur in Punjab in August, 1914 and was educated at Lahore. An Industrialist, Shri Dev Datt Puri